कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला

पत्रांक ..656..../

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक,
गुमला।

सेवा में,

सचिव,
सॉलिटियर एडुकेशनल एकेडमी मकरा,
घाघरा।

गुमला, दिनांक 29/4/2023

विषय :- **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम के अधीन विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम के अधीन विद्यालय को मान्यता प्रदान करने हेतु आपके द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा विद्यालय का स्थलीय जाँच कर समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं दिनांक 13.04.2023 को उपायुक्त, गुमला की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला प्रारंभिक समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2023-2024 से कक्षा 01 से 08 तक के लिए निम्नांकित शर्तो के अधीन आपके विद्यालय को मान्यता प्रदान की जाती हैं:-

1. इस मान्यता में किसी भी रुप में कक्षा 08 के पश्चात् मान्यता/संबद्धन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों के संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग

के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक उपलब्ध करायेगा।

4. उक्त कण्डिका 03 में उल्लेखित बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत् प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय का एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।

5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावकों से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता–पिता या अभिभावक का किसी प्रकार स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।

7. विद्यालय निम्नांकित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा :–

I- प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

II- किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक दण्ड नहीं दिया जायेगा।

III- प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

IV- प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

V- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यक्ताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

VI- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्त्ताएँ के अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहर्त्ता, अधिनियम 2009 लागू होने के समय नहीं हैं, पाँच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्त्ताएँ अर्जित कर लेंगें।

VII- अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्त्तव्यों का पालन करेंगें और

VIII- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगें।

Scanned with OKEN Scanner

8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्चर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा।

10. विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नही चलाई जायगी।

11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जाएगी और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरणी नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला को भेजी जाएगी।

14. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाय।

15. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

16. आर0टी0ई0 के मानक के अनुरूप प्राथमिक कक्षा के लिए न्यूनतम इण्टर व समतुल्य योग्यता के साथ दो वर्षीय डी0एल0एड0/समतुल्य प्रशिक्षित एंव Teachers Eligibility Test अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कक्षा 06 से 08 के लिए न्यूनतम स्नातक व समतुल्य के साथ बी0एड0 व समतुल्य डिग्री प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा एवं Teachers Eligibility Test वांछित होगा।

विद्यालय के वैसे शिक्षक जो उपर्युक्त अहर्त्ता धारित नहीं करते हैं, को एक वर्ष के भीतर अहर्त्ता पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

17. भविष्य में यदि निजी विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 का उलंघन करता है तो किसी भी समय बिना कारण बताए विद्यालय की मान्यता समाप्त करने का अधिकार उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति गुमला को सुरक्षित रहेगा।

Scanned with OKEN Scanner

18. आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज/अभिलेख/ऑकड़ों में जाँच के क्रम में भविष्य में यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है या यह आरोप प्रमाणित होता है कि कोई तथ्य छिपाया गया है या गलत सूचना दिया गया है तो तत्काल प्रभाव से विद्यालय की मान्यता समाप्त करने का अधिकार उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति गुमला को सुरक्षित रहेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 04/13.04.2023 हैं। कृपया भविष्य में इस कार्यालय के साथ किए जाने वाले किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख किया जाय।

विश्वासभाजन

29/4/23

जिला शिक्षा अधीक्षक,
गुमला।

29/4/23

Scanned with OKEN Scanner